

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(आर-34/2008)/अलेसे-11/

425

दिनांक :- 25.5.18

कार्यालय आदेश

श्री रामकरण मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 2345-2357 दिनांक 07.03.2017 के द्वारा एसीबी प्रकरण दर्ज होने के फलस्वरूप दिनांक 21.02.2017 से निलम्बित किया गया था। श्री रामकरण मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (निलंबित) को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु श्री मीणा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53 (1) के अनुसरण में श्री रामकरण मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (निलंबित) को दिये जा रहे निर्वाह भत्ते में 50 प्रतिशत की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक :- 25.5.18

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(आर-34/2008)/अलेसे-11/

425

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छोटीसादडी, प्रतापगढ़।
3. कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़।
4. उपनिदेशक, एसीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु/पीआईएस।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
6. श्री रामकरण मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (निलंबित) मुख्यालय- कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़।
7. पदस्थापन सीट/ए.सी.पी/निजी/रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)